## महत्वपूर्ण एवं खास

### राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग का आरोप

**बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते-आते प्रचार की लड़ाई भी तेज होने लगी है. इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक पर पद के दुरूपयोग करने का आरोप लगा है. निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग से भाजपा ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, किरणमयी नायक महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक के पक्ष में प्रचार कर रही हैं. संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद नायक चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं और कांग्रेस कार्यालय में चुनाव संचालन में भाग ले रही हैं. यह भी आरोप लगाया गया है कि नाम निर्देशन छानबीन की कार्यवाही में सीसीटीवी फुटेज में उनकी उपस्थिति दर्ज है. इस मामले में संवैधानिक पद की गरिमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई है.

### छत्तीसगढ़ को मिल रहा एक और आईएएस अफसर

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ को एक और आईएएस अफसर मिल रहा है। मणिपुर के आईएएस पठारे अभिजीत बबन ने छत्तीसगढ़ कैडर चुनाव है। छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अफसर साकोरे मानसी नानाभाऊ के साथ विवाद के चलते आईएएस पठारे अभिजीत बबन का कैडर मणिपुर से छत्तीसगढ़ कैडर कर दिया गया है।

### नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की हत्या की, क्षेत्र में दहशत

**दंतेवाड़ा (आरएनएस)।** एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र में गुरुवार रात सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह घटना रात एक से डेढ़ बजे के बीच घटित हुई। मृतक की हत्या के पीछे पंचायत चुनाव को कारण माना जा रहा है। इस घटना की पुष्टि एएसपी आरके बर्मन ने की है। पुलिस के मुताबिक, नक्सलियों ने पंचायत चुनाव के दौरान अपनी बढ़ती नाकामी और सुरक्षाबलों की सफलता से बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने ग्रामीणों और आदिवासियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नक्सली इन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है, और सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी किया है।

### तेलंगाना के ईंट भट्ठे में छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा झारा मजदूरों को बनाया गया बंधक

रायगढ़-रायपुर, 07 फरवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर आई है। जानकारी मिली है कि तेलंगाना के ईंट भट्ठे में छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा झारा मजदूरों को बंधक बनाया गया है। वहीं एक मजदूर की मौत के बाद भी ईट भट्ठी का मालिक मजदूरों को नहीं छोड़ रहा। मृतक के शव को एंबुलेंस से रायगढ़ लाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम नवीन झारा है। रायगढ़ जिले से 150 से ज्यादा मजदूर लंबे समय से काम की तलाश में तेलंगाना गए थे। इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। वहां मजदूर को बंधक बनाकर ईंट भट्ठे के मालिक काम करा रहे। उन्हें घर जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं एक मजदूर की ईंट भट्ठे में काम करने के दौरा मौत हो गई। इसके बाद भी मजदूरों को नहीं छोड़ा गया। आज मृतक का शव एंबुलेंस से रायगढ़ लाया गया। परिजनों ने ईंट भट्ठा के मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है।

# सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

**रायपुर । आरएनएस**

राजधानी की सिविल लाईन थाना पुलिस ने अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने का झांसा देकर 60 से अधिक लोगों से 5 करोड़ रूपये से अधिक रकम की ठगी करने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा पैनल बनाकर ठगी को अंजाम दिया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. के तहत कार्यवाही की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया अंजना गहिरवार माह फरवरी 2021 को वह अपने परिवार के साथ मौसा मौसी देवेन्द्र जोशी एवं झगीता जोशी के घर राजेन्द्र नगर आई थी। जहां बातचीत के दौरान अंजना गहिरवार द्वारा नौकरी करने की इच्छा जाहिर करने पर मौसा देवेन्द्र जोशी एवं उसकी पत्नी झगीता के द्वारा शासन में बड़े अधिकारी से जान पहचान है तथा सेटिंग कर सरकारी नौकरी लगाते है बताकर प्रार्थिया अंजना गहिरवार से 25 लाख रूपये की मांग की जिस पर अंजना ने किश्तों में पैसे अपने मौसा मौसी को दे दिये। इसके बाद कई माह तक नौकरी नही लगने से अंजना ने मामले की पता किया तो पता चला कि उसके मौसा-मौसी ने उसेक अलावा गजेन्द्र लहरे, कुणाल देव, भुनेश्वर सोनवानी तथा अन्य से भी नौकरी लगाने के नाम परा 25-25 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी किये है। जिसके बाद अंजना गहिरवार ने दिनांक 29.01.2025 को ने सिविल लाईन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में विवेचना दौरान पूर्व में आरोपी देवेन्द्र जोशी एवं झगीता को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। विवेचना दौरान आरोपी देवेन्द्र जोशी के द्वारा पूछताछ पर अपने साथी स्वप्निल दुबे को प्रार्थी एवं अन्य लोगो के वेरीफिकेशन के लिये इन्द्रावती भवन भेजकर सत्यापन संबंधी कार्यवाही कराना स्वीकार किया था। जिस पर आरोपी

स्वप्निल दुबे की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना दौरान आरोपी स्वप्निल दुबे की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर स्वप्निल दुबे को पकडक़र पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी सोमेश दुबे, नफीज आलम एवं अन्य तथा विकास शर्मा, जिसका वर्तमान में सडक़ दुर्घटना से मृत्यू हो गई है के साथ चैनल बनाकर शासकीय विभागों में नौकरी लगाने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 60 बेरोजगारों से अबतक 5 करोड़ रूपये से अधिक ठगी करना बताया। प्रकरण में पीड़ितों एवं आरोपियो के बैंक खातों का विश्लेषण एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी नफीज आलम, सोमेश दुबे, हलधर बेहरा का संलिप्तता पाये जाने पर गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर घटना को अंजाम देना स्वीकार किये है। आरोपी स्वप्निल दुबे वैगन रिपेयर शॉप, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे रायपुर में तकनीशियन-द्ढ के पद पर कार्यरत है। आरोपियो द्वारा लोगो को झांसे में लेने के लिये अपने वाहन में छ.ग. शासन की नाम पट्टिका का उपयोग करने के साथ साथ मंत्रालय का ईमेल आई.डी. भी तैयार किये थे जिससे बेरोजगारो को मेल के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रेषित करते थे। प्रकरण में अबतक लगभग 20 से अधिक पीड़ितों का पहचान किया जा चुका है। जिनसे पृथक से पूछताछ एवं दस्तावेज संकलन कर बारीकी से विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 03 नग मोबाइल फोन, 04 नग सोने के सिक्के, 01 नग सोने का हार, 01 नग बिंदिया, 02 नग एसी, 01 नग फ्रीज, 02 नग पंखा, 01 नग होम थियेटर, 01 नग स्कार्पियो वाहन, 01 नग स्कुटी वाहन जुमला कीमती करीबन 50 लाख रूपये जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों द्वारा गबन किये गये रकम को क्रिप्टो करेसी, जमीन व फ्लैट लेकर इन्वेस्ट करना बताये है साथ ही धोखाधड़ी किये गये रकम को बैंक खातों में जमा करना बताये। जिस पर आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 15 लाख रूपये होल्ड कराया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों के संलिप्त होने के साक्ष्य मिले है। जिनका पता तलाश किया जा रहा है।

मामले में पुलिस ने देवेन्द्र कुमार जोशी पिता डॉ. बी.आर. जोशी उम्र 58 साल पता बुढ़ी माई मंदिर के पीछे, डॉ. राजेन्द्र नगर, थाना सिविल लाईन रायपुर। झगीता जोशी पति देवेन्द्र कुमार जोशी उम्र 58 साल पता बुढ़ी माई मंदिर के पीछे, डॉ. राजेन्द्र नगर, थाना सिविल लाईन रायपुर। स्वप्निल दुबे पिता अशोक दुबे उम्र 44 साल पता गोकुल विहार, बोरियाखुर्द पानी टंकी के पास, सामने, थाना टिकरापारा रायपुर। स्थायी पता ग्राम टेकारी, थाना मुजगहन, रायपुर, नफीज आलम पिता रईस आलम उम्र 33 साल पता म.नं. 06, पुलिस चौकी मानिकपुरी के पास, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा। वर्तमान पता अमन नगर मोवा पंडरी रायपुर, हलधर बेहरा पिता चक्रधर बेहरा उम्र 31 साल ग्राम बसायी पटेलपारा, म.नं. 157, थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ तथा सोमेश दुबे पिता स्व. भरतलाल दुबे उम्र 44 साल पता ग्राम पोड़ थाना नयापारा, रायपुर। वर्तमान पता एकलब्य विद्यालय परिसर, थाना छुरा, गरियाबंद को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों से 03 नग मोबाइल फोन,04 नग सोने के सिक्के,01 नग सोने का हार,01 नग बिंदिया,02 नग एसी,01 नग फ्रीज,02 नग पंखा,

01 नग होम थियेटर,01 नग स्कार्पियो वाहन,01 नग स्कुटी वाहन जुमला कीमती करीबन 50 लाख रूपये जब्त किया है। साथ ही आरोपियो द्वारा ग्राम सोनपैरी, टेकारी, कमल विहार में खरीदे गये भूमि के व्ययन पर रोक लगाया गया है एवं आरोपियों के बैंक खातों में जमा रकम लगभग 15 लाख रूपये होल्ड किया गया है।

# एक साल के भीतर किसानों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि

**-धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को हुआ भुगतान**

**- छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष और 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी का बना संयोग**

**रायपुर । आरएनएस**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपए अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है। 52 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में आने से वे खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है। धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और इस साल 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान बेचा। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में 25 लाख से अधिक किसानों के धान बेचने से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की सकारात्मक दिशा स्पष्ट है। एक साल के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 34 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 12 हजार करोड़ रुपए व्यय किये गये हैं। इसके अलावा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत करीब 500 करोड़ रुपए की राशि 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में अंतरित की है। इसके साथ ही मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1735 करोड़ रुपए की राशि भी किसानों के खाते में दी गई है।

साय सरकार की 5 एचपी के कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने की योजना अंतर्गत 2707 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसके साथ ही सोलर पंपों हेतु 200 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान दिये गये हैं। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 304 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 94 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सब्जी लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने शाकम्बरी योजना चलाई जाती है इस पर 9 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और 7323 किसान लाभान्वित हुए हैं।

साय सरकार तेजी से खेती के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है। ड्रोन दीदियों के माध्यम से खेतों में कीटनाशकों का छिडक़ाव ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाते हैं। इसका लाभ 3204 किसानों ने उठाया है। इस पर 79 करोड़ रुपए का व्यय आया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 46 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इससे 4627 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार नेशनल मिशन आन आइससीड्स एंड आईलपाम योजना से 24,345 किसानों को लाभ पहुंचा है इसमें 11 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। सबमिशन आन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना अंतर्गत 2 लाख 31 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है और इसमें 9 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

# छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने दिल्ली रॉयल्स को 5 विकेट से हराया

**रायपुर । आरएनएस**

राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से 'लेजेंड 90' क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। उद्घाटन मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने दिल्ली रॉयल्स को 5 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की।

मैच से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने म्यूजिकल ग्रुप के साथ रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। शाम 7 बजे शुरू हुए इस मैच में 15 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 172 रन बनाए। दनिस्का गुणाथिलिका ने 33 गेंदों पर 73 रन और रोस टेलर ने 39 रन बनाए।

छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की गेंदबाजी में कलीम खान ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट, सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट और अभिमन्यु मिथुन ने 1 विकेट लिया। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने 14.4 ओवर में 5 विकेट पर 174 रन बनाकर मैच जीत लिया। पवन नेगी और गुरुकिरत सिंह मान ने अद्र्धशतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। आज 7 फरवरी को शाम 4 बजे राजस्थान किंग्स और दुबई जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा, वहीं शाम 7 बजे गुजरात सेम्प आर्मी और बिग ब्यॉज के बीच रोमांचक मुकाबला होगा।

# हाईकोर्ट की फटकार के बाद, रोड में जन्मदिन मनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

**बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस**

राजधानी रायपुर में बीच सडक़ केक काटने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ स्नद्भक्र दर्ज की गई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में मामले की पुन: सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. दरअसल, रायपुर के महादेव घाट मार्ग के रायपुरा चौक में 30 जनवरी 2025 की देर रात कुछ लोगों ने कार रोककर जन्मदिन मनाया. बीच सडक़ पर कार की बोनट में केक काटा और आतिशबाजी भी की गई. मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन सौ रुपये क्या होता है, अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था. आज अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया. कोर्ट को यह बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ क्चहस्न् की धारा 162 और अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

# आधी रात घर घुसकर महिला से अनाचार, पांच गिरफ्तार

**सूरजपुर-रायपुर । आरएनएस**

विश्रामपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. यह घटना बुधवार रात की है, जब पीड़िता का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था. इसी दौरान गांव के 4-5 लोग घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी उत्तरप्रदेश से आकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बस्ती में रहकर मजदूरी कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय पीड़िता अपने पति के साथ तीन वर्षों से एक किराए के मकान में रह रही थी और मेहनत-मजदूरी कर गुजारा कर रही थी. घटना के समय उसका पति चार दिन पहले कोरिया जिले में अपने गांव घरेलू काम से गया हुआ था. पीड़िता ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे मोहम्मद गुलाम कादिर और अफसर अली उर्फ ठुठूवा नाम के दो व्यक्ति उसके घर पहुंचे और उसके पति के बारे में पूछताछ करने लगे. आधी रात के आसपास जब पीड़िता घर के बाहर बैठकर गुड़ाखू घस रही थी, तभी कादिर और ठुठूवा तीन अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और जबरन उसे धक्का देकर घर के भीतर ले गए. इसके बाद पांचों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने अपनी बहन को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 70(1) और 331(8) के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार किया. विश्रामपुर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा के नेतृत्व में पुलिस नेगुलाम कादिर और ठुठूवा को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कबूल की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पांचों आरोपियों गुलाम कादिर (40), अफसर अली उर्फ ठुठूवा (34), मोहम्मद इस्लाम (55), आजाद ललन (25) और मोहम्मद रमजान (50) को गिरफ्तार किया. ये सभी आरोपी मूल रूप से उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और विश्रामपुर में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे. न्यायालय में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

# म्यूल अकाउंट्स से 6 करोड़ की ठगी

**-35 म्यूल अकाउंट्स की पहचान, 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार**

**कोरबा । आरएनएस**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चैहान, साइबर एवं यातायात प्रभारी रवींद्र कुमार मीना एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के नेतृत्व में कोरबा सायबर सेल एवं थाना सिविल लाइन की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में अब तक 35 म्यूल अकाउंट्स की पहचान हुई हैं। जिसमें 10 कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिनमें कई खाता धारक एवं अन्य लोग शामिल हैं, जिन्होंने ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। जानकारी के अनुसार अब तक की जांच में लगभग 6 करोड़ रुपए के संदेहास्पद लेनदेन का खुलासा हुआ है, जो फर्जी बैंक खातों के माध्यम से किया गया था। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कोरबा पुलिस ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र या श्रम कार्ड, आधार कार्ड किसी को न बेचें, न किराए पर दें और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दें। ऐसा करने से आप ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध में फंस सकते हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

**- खुद को साइबर ठगी से कैसे बचाएं**

आकर्षक जॉब ऑफर, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और जल्दी पैसा कमाने वाले स्कीम से सावधान रहें। अगर कोई आपसे अपना बैंक खाता देने की मांग करे, तो तुरंत मना करें। बिना सत्यापन के किसी को अपना पासवर्ड या बैंक डिटेल्स साझा न करें। गिफ्ट कार्ड, वर्चुअल करेंसी या अन्य असामान्य माध्यमों से पेमेंट करने से बचें। अगर कोई आप पर तुरंत निर्णय लेने का दबाव बनाए, तो सतर्क रहें और पुलिस को सूचना दें।

**- बैंकिंग सुरक्षा एवं म्यूल अकाउंट्स रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश**

आरबीआईने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे डेटा को नियमित रूप से अपडेट करें और संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स की निगरानी करें। - बैंकों को ऐसे फर्जी खातों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अगर आपको ठगी का शिकार बनाया जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर- 1930 पर कॉल कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

# पान दुकान में बेच रहे थे प्रतिबंधित हुक्का सामाग्री,दो गिरफ्तार

**रायपुर । आरएनएस**

राजधानी रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र से पुलिस ने एक पान दुकान में छापामार कर वहां से प्रतिबंधित हुक्का सामाग्री बरामद किया है। मामलें में पुलिस ने पान दुकान के संचालक व मालिक को गिरफ्तार कर उनके पास से दो लाख रूपये कीमत की हुक्का सामाग्री जब्त किया है। पान दुकान का मालिक अनुराग मंधानी पूर्व में भी थाना गोलबाजार से कोटपा एक्ट के प्रकरण में जेल जा चुका है।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 07.02.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना मिली कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अरिहंत कॉम्पलेक्स में स्थित पान स्टोरी नामक दुकान में प्रतिबंधित हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री की जा रहीं है। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान स्थित मुखबीर द्वारा बताये पान स्टोरी नामक दुकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में दो व्यक्ति मिले। जिन्होने पूछताछ में अपना नाम अफसर अली एवं अनुराग मंधानी होना बताने के साथ ही स्वयं को पान दुकान का संचालक एवं मालिक होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा पान दुकान की तलाशी लेने पर पान दुकान में हुक्का से संबंधित सामाग्री रखा होना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने पान दुकान में हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री करना बताने के साथ ही हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों का भण्डारण करना भी बताया गया। जिस पर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से संबंधित अन्य सामाग्री जुमला कीमती लगभग दो लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में धारा 4(क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापारा तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम्र पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है। आरोपी अनुराग मंधानी वर्ष 2024 में भी अवैध रूप से प्रतिबंधित हुक्का एवं उससे संबंधित सामग्री बिक्री करने के प्रकरण में थाना गोलबाजार से जेल जा चुका है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU